खंड 1, सख्या 145

राष्ट्र महिला

अगस्त 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है । यद्यिप सभी राजनीतिक दल महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को वचनबद्ध हैं, फिर भी एक लम्बे अरसे से विचाराधीन महिला आरक्षण विधेयक को, जिसमें संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33.3 स्थान आरक्षित किए जाने का प्रावधान है, संसद के मानसून सत्र की कार्य–सूची में शामिल नहीं किया गया है।

लोक सभा की अध्यक्षा सुश्री मीरा कुमार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाकर महिला आरक्षण के मार्ग में उठी बाधाओं का समाधान निकालने का प्रयत्न किया, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि बहुत से दल तो बैठक में शामिल ही नहीं हुए और कुछ अन्य दलों ने खुल कर महिला आरक्षण का विरोध किया । गठजोड़ सरकार के कई भागीदार दलों की 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की मांग के चलते इस मामले में कोई मतैक्य बनता दिखाई नही देता ।

महिलाओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत होते हुए भी संसद एवं राज्यों की विधान सभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है । इसलिए 33.3 आरक्षण की मांग को बेतुका या अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

जैसा कि विगत में अनेक बार हुआ है, आरक्षण के मुद्दे पर सब राजनीतिक दलों को बुला कर चर्चा करने का नवीनतम प्रयत्न भी असफल हो गया है । कोई सहमति बनती दिखाई नहीं देती ।

चर्चा में
महिला आरक्षण विधेयक

अब गेंद सरकार के पाले में है । किन्तु यदि यही रवैया जारी रहा कि जब भी मतैक्य बनाने का प्रयत्न किया जाये तब हर बार आपत्ति उठाई जाये, तो यह विधेयक स्वयं अपनी मौत मर जायेगा। क्या सरकार ऐसा होता हुआ देख सकती है? क्या भारत की आधी आबादी, जो महिलाओं की है, राष्ट्र की निर्णयकारी प्रक्रिया में अपना स्थान पा सकती है ?

जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग का संबंध है, आयोग ने संसद में यह विधेयक पारित कराए जाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बैठकें महिला सांसदों तथा महिला संगठनों के साथ की हैं । आयोग के लिए यह मुद्दा केवल महिलाओं का मुद्दा न होकर एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे राष्ट्र की प्राथमिकता के रूप में उठाया जाना चाहिए । यह एक अद्वितीय तथा दूरगामी महत्व का कानून होगा जिससे न केवल भारतीय निर्वाचन राजनीति में एक क्रान्ति आयेगी अपितु हमारी पुरानी चली आयी भेदभावी राजनीतिक प्रणाली समाप्त होकर एक सामाजिक परिवर्तन का सूत्रपात्र भी होगा ।

अध्यक्षा ने विधि मंत्रालय को पृथक त्वरित न्यायालय स्थापित करने को लिखा

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने विधि मंत्री श्री सलमान खुर्शीद को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि महिलाओं पर होने वाले जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार, यौन आघात आदि के मामलों में त्वरित न्याय करने एवं मिसाल कायम करने वाला दंड देने के लिए बिलकुल पृथक त्वरित न्यायालयों की स्थापना की जाये।

अपने पत्र में उन्होंने कहा : "जब कि अपराधों की बढ़ती हुई दर चिन्ता का विषय है, यह बात और भी चिन्ताजनक है कि दर्ज किए गये मामले वास्तव में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की एक छोटी सी संख्या ही प्रदर्शित करते हैं और एक लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद अपेक्षाकृत कुछ मामलों में ही सजा मिलती है जिससे पीड़ितों का दुख एवं पीड़ा और भी बढ़ जाते हैं।

उन्होंनें विधि कार्यालय मंत्रालय से आग्रह किया कि वह महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए बिलकुल पृथक त्वरित न्यायालयों की स्थापना का मुद्दा राज्यों के मुख्य न्यायधीशों के साथ उठाए और यह भी कहा कि संबंधित कानूनों में दक्षता प्राप्त न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाये तथा इस मुद्दे से सम्पूर्ण रूप से निबटने के लिए उपयुक्त बजट प्रावधान किया जायें।

घरेलू नौकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 18.59 आयु वर्ग के घरेलू नौकर–नौकरानियों को बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए 30000 रू० प्रति वर्ष बीमा राशि का प्रावधान किया है। इससे ये लोग स्मार्ट कार्ड की सहायता से देश के किसी भी भाग में अपना इलाज अधिसूचित अस्पतालों में निःशुल्क करा सकेंगे।

इस योजना से लगभग 47.5 लाख नौकरों को, जिनमें अधिकांश महिलाएं होंगी, लाभ मिलने की आशा है । इसमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए ऐसे कामगारों को निम्न चार में से किन्ही दो से अपना पहचान पत्र लाना होगा – नियोक्ता, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसियेशन, पंजीकृत ट्रेड यूनियन और स्थानीय पुलिस।

योजना की लागत का 25 प्रतिशत व्यय राज्यों का उठाना होगा । पूर्वोत्तर एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों को लागत का केवल 10 प्रतिशत वहन करना होगा।

"महिला अभिकरण एवं सशक्तिकरण" पर कार्य दल

योजना आयोग ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में "महिला अभिकरण एवं सशक्तिकरण" पर एक कार्य दल स्थापित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सचिव–सदस्या सुश्री जोहरा चटर्जी को इस कार्य दल का सदस्य मनोनीत किया गया है ।

सुश्री चटर्जी को "महिला अभिकरण एवं सशक्तिकरण" की कानूनी रूपरेखा तैयार करने वाले उप–दल की अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। यह दल विद्यमान महिला संबंधित कानूनी ढांचों के क्रियान्वयन तथा उनके कार्यान्वयन के व्यवस्था–तंत्र की समीक्षा करेगा और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा सुधार–उपायों का सुझाव देगा।

आयोग ने वृंदावन की विधवाओं को पहचान-पत्र दिए जाने की सिफारिश की

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने वृंदावन की विधवाओं का सर्वेक्षण किया और तत्पश्चात अप्रैल, 2010 में न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी ।

सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह था कि बहुत सी विधवाओं को राशन कार्ड तथा अन्य सुविधाएं इसलिए नहीं मिलती कि वे रिहाइश का सबूत नहीं दे पाती ।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशिष्ट पहचान पत्र के महानिदेशक तथा मिशन निदेशक को लिखा है कि उन विधवाओं को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करें ताकि वे राशन कार्ड एवं अन्य सुविधाओं से वंचित न रहें।

धारा 498 क तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध विधेयक पर आयोग की प्रतिक्रिया

- राज्य सभा की याचिका समिति द्वारा डा० अनुपम सिंह की एक याचिका पर विचार किया जा रहा हैं जिसमें धारा 498 क में संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि इस धारा को संशोधित कर इसे जमानती, गैर–संज्ञेय तथा समझौता योग्य बना दिया जाना चाहिए।

परन्तु राष्ट्रीय महिला आयोग की दृष्टि में धारा 498 क महिलाओं पर होने वाली क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करने के लिए उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी साधन प्रदान करती है और इसलिए आयोग ने इस धारा का संशोधन कर इसे कमजोर किए जाने का घोर विरोध करते हुए कहा है कि उपरोक्त संशोधनों से एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी जो अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए हानिकारक होगी । आयोग ने अपने इस मत के पक्ष में तत्थ तथा आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वास्तव में इस धारा का प्रयोग बहुत कम हुआ है और यह कहना सही नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया गया है।

- देशभर में विचार विमर्श एवं परामर्श के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन विधेयक 2010 का अंतिम मसौदा 12 फरवरी, 2010 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा।

मंत्रालय ने 7 दिसम्बर, 2010 को यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया और इसे "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध महिला संरक्षण विधेयक 2010" के रूप में मानवाधिकारों पर स्थायी संसदीय समिति को सौंप दिया गया है।

अपने मसौदे में आयोग ने सुझाव दिया है कि विधेयक में 'घरेलू कामगारों' को भी शामिल किया जाये।

आयोग में न्यायिक अधिकारियों, रक्षा अधिकारियों तथा जेल अधिकारियों का आगमन

देश भर के उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकारी, एस.पी/डीएसपी एवं उनसे ऊपर के अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, रक्षा अधिकारी और जेल/सुधार–गृह अधिकारी राष्ट्रीय महिला आयोग आये और वहां के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ चर्चा की ।

सदस्य सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी ने बैठक की अध्यक्षता की

दहेज, एफआईआर दर्ज न करना, पुलिस का असंवेदनशील रवैया, न्यायपालिका संबधित कठिनाइयां, भ्रष्टाचार की समस्याएं और पुलिस की अक्षमता, बलात्कार के मामलों में घटिया और लम्बी जांच पड़ताल इत्यादि मुद्दों पर चर्चा हुई । किन्तु धारा 498क पर मतभेद था। कुछ का सुझाव था कि इसे समझौता उन्मुख बनाया जाये, किन्तु कुछ अन्य की राय थी कि ऐसा करने से महिलाओं की परेशानी बढ़ेगी।

सड़क नाट्य प्रदर्शन

महिलाओं से संबंधित मुद्दों तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुराड़ी और रघुवीर नगर, नई दिल्ली में दृशांतर और एसबीएस फाउन्डेशन द्वारा सड़क नाटय प्रदर्शन का आयोजन किया क्योंकि सड़क नाटय प्रदर्शन लक्षित वर्गों में समकालीन मुद्दों पर संदेश प्रसारित करने का सबसे सरल एवं प्रभावी तरीका है।

नाटय प्रदर्शन मुख्यतः नारी भ्रूणहत्या, घरेलू हिंसा, नारी शिक्षा की आवश्यकता, पुरुष–महिला समानता आदि मुद्दों पर केन्द्रित रहे।

नाटकों में इस बात को भी उजागर किया गया कि महिलाओं संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने पर अपराधियों को क्या सजा और जुर्माना भुगतना होगा।

नारी भ्रूणहत्या के लिए भारी जुर्माना और कठोर सजा

दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना करने तथा उन्हें कठोर सजा देने का विचार कर रही है जो प्रसव–पूर्व सेक्स चयन परीक्षण करते हैं। विद्यमान कानून के अनुसार, सेक्स निर्धारण परीक्षण करने वाले किसी भी किलनिक को बंद किया जा सकता हैं।

2011 के जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि राजधानी दिल्ली में 866 महिलओं पर 1000 पुरूषों का लिंग अनुपात भारत के सारे राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में सबसे नीचे से चौथे नम्बर पर है।

चलती रेलगाड़ियों में एफआइआर दर्ज होगी

महिलाओं को तंग करने, उनके साथ छेड़खानी करने अथवा उनके प्रति किए जाने वाले अन्य अपराधों की शिकायत अब चलती रेलगाड़ियों में दर्ज कराई जा सकती है।

प्रभावित महिलाएं टी. टी. अथवा गार्ड के पास एफआइआर दर्ज करा सकती हैं और तुरन्त यह रिपोर्ट संबंधित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट को प्रेषित कर दी जायेगी।

इससे अपराधियों को जल्द पकड़ने में भी पुलिस को सहायता मिलेगी । अब से पहले, शिकायतकर्ता को गाड़ी से उतर कर रेलवे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करानी होती थी जिसके परिणामस्वरूप उसका अतिरिक्त खर्चा भी होता था और परेशानी भी भुगतनी पड़ती थी।

गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त अल्ट्रासाउंड परीक्षण

पहली अगस्त से, जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड परीक्षण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। महिलाएं जब प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में आयेंगी तो उनके परिवहन का खर्चा भी अस्पताल के जिम्मे होगा।

बच्चे को भरण-पोषण देने की आयु 21 वर्ष तक बढ़ाई जाये : न्यायालय

दिल्ली में एक मुकदमा न्यायालय ने केन्द्र से आग्रह किया है कि 60 वर्ष पूर्व पारित किए गये हिन्दू भरण–पोषण अधिनियम को संशोधित किया जाये जिसमें बच्चे को भरण–पोषण दिए जाने की आयु 16 वर्ष तक की है और सुझाव दिया है कि इसे बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया जाये ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर कमाने लायक हो जाये ।

न्यायालय ने यह टिप्पणी एक लड़के की याचिका की सुनवाई के समय की जिसमें कहा गया था कि उसकी आयु 18 वर्ष होने पर उसके पिता ने उसे भरण–पोषण देना बन्द कर दिया है।

न्यायालय ने कहा कि भरण–पोषण प्रदान करने के मामले में उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं क्योंकि कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हैं । न्यायाधीश ने कहा कि "इस न्यायालय के पास सिवाय इसके कोई और विकल्प नही है कि प्रतिवादी (पिता) को इस बात की अनुमति दे कि वह चाहे तो पुत्र को भरण–पोषण न दे । साथ ही न्यायालय का मत है कि उपरोक्त विधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि बच्चे को (विवाहित पुत्री को छोड़ कर) 21 वर्ष की आयु तक भरण–पोषण दिया जाने का हकदार बना दिया जाए बशर्ते कि वह अपनी शिक्षा जारी रख रहा है अथवा वह अन्यथा अपना जीवन निर्वाह करने योग्य नहीं है, या यह बात न्यायालय पर छोड़ दी जाये कि वह निर्धारित करे कि बच्चे को कब तक भरण–पोषण दिया जाना हैं।"

• हिरासत का मुद्दा केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं है

दिल्ली के एक न्यायालय ने एक नाबालिग बच्चे की हिरासत उसके पिता को देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि केवल पिता की आर्थिक स्थिति को उसे बच्चे की हिरासत देने का आधार नहीं माना जा सकता ।

अतिरिक्त सेशन व सिविल जज ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे के हित का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक है और अपनी पत्नी से अलग हुए उस व्यक्ति के नाबालिग पुत्र की हिरासत देने के दावे को ठुकरा दिया तथा उसे महीने में एक बार अपने पुत्र से मिलने की अनुमति दी ।

• पतियों को छोड़ देने वाले गैर निवासी भारतीयों को क्रूरता की सजा मिल सकती है

नई दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा है कि जो गैर निवासी भारतीय विवाह करके अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं या विवाह पश्चात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके विरूद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें क्रूरता करने की सजा दी जा सकती हैं।

• अलग हुई पत्नी को भरण-पोषण देना होगा

दिल्ली के एक मुकदमा न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला को अपना गुजारा अर्जित करने की योग्यता से उसका अपने अलग हुए पति से भरण–पोषण पाने का अधिकार छिन नहीं जाता।

न्यायालय ने उस पुरूष का यह तर्क अस्वीकार कर दिया है कि उसकी पत्नी में अपना गुजारा अर्जित करने की पूरी योग्यता है। अतिरिक्त जज ने कहा कि "जब कोई पुरूष किसी बेरोजगार महिला से विवाह करता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने का वादा करता है और उसे गृहिणी बना कर रखना चाहता है तो वह अलग होने के बाद यह नहीं कह सकता कि उसकी पत्नी अपना गुजारा अर्जित करने की योग्यता रखती है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि वह व्यक्ति मुकदमा न्यायालय में दायर अर्जी की तिथि से अपनी पत्नी को 15000 रु० प्रति माह भरण–पोषण दे। न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि बकाया राशि का भुगतान पत्नी को न्यायालय के आदेश की तिथि से दो मास के भीतर किया जाये।

• पत्नी को पैसे से मोहताज रखना हिंसा है : उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पत्नी को वित्तीय रूप से मोहताज रखना और उसे अपने वैवाहिक घर में न आने देना घरेलू हिंसा हैं। मुकदमा न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2011 में पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।

पति के वकील का तर्क था कि कथित दुर्व्यवहार के सभी मामले वर्ष 2005 से पूर्व के हैं और इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम को उसके प्रभावी होने से पहले की तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। पत्नी के वकील का कहना था कि चूंकि विवाह विच्छेद अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए कारवाई का आधार अभी चल रहा है।

उच्च न्यायालय ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि "इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व पत्नी को साझा घर में आने से वंचित किया गया था, किन्तु यह वंचना इसके बाद भी चल रही हैं।" न्यायालय ने कहा कि पत्नी को, जो कानूनन साझा घर का हक रखती है, पति द्वारा कानून के प्रावधानों को नकार करके पत्नी को वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पति की याचिका रद्द करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि "कानूनी अधिकार का लगातार उल्लंघन किए जाने पर पत्नी को राहत देना 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम से पूर्व की तिथि से लागू किया गया नहीं माना जा सकता।"

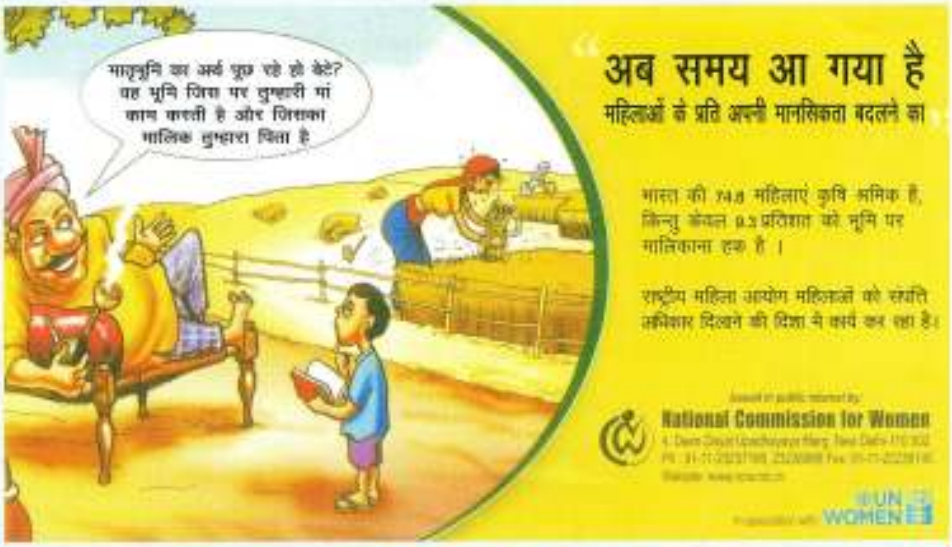

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारी वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।